प्रकरण संख्या 42/2017 जवाना बनाम सवा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी, आधिपत्य की आराजी नंबर 239, 240, 241, 246, 247, 294 कुल किता 6 रकबा 2.0500 हैक्टर भूमि ग्राम डेडरों की ढाणी में स्थित है एवं पक्षकारान सहूलियत के हिसाब से अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 का 4/15 हिस्सा होकर मौके पर काबिज हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा विधिवत प्रतिफल अदाकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं सवा पिता गिरधारी रेबारी से उनका कुलिया हिस्सा क्रय किया गया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 विबंधित हैं, किन्तु वादीगण का क्रय शुदा हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं होने के कारण वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः वादीगण को विवादित आराजियात के 4/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 06.06.2016 से वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 09.05.2017 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं दी। प्रार्थीगण को प्रथम बार जानकारी दिनांक 26.04.2017 को हुई एवं नकल दिनांक 05.05.2017 को प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मियाद कण्डोन फरमायी जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:15 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 अपास्त किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.05.2016 अनुसार प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 26.07.2016 की पेशी नियत की गयी, किन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 06.06.2016 को अपीलान्ट/वादीगण की अनुपस्थिति में उनका वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.06.2016 को अपास्त किया जाता है और पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:15 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर